Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड करने के आरोपी जुल्फीकार उर्फ छोटू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 01 वर्ष 01 माह का कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2023 में अभियुक्त जुल्फीकार उर्फ छोटू पुत्र आलम निवासी माता कॉलोनी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वादी की नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 407/2023 धारा 376A/376B/377/354 भादवि व 5M/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 28.05.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त जुल्फीकार उर्फ छोटू को दोषी पाते हुए धारा 354 भादवि में 01 वर्ष 01 माह के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उपरोक्त अभियुक्त को धारा 376A/376B/377 भादवि व 5M/6 पोक्सो एक्ट में मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में नाबालिग लडके के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोपी जानू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 20 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2020 में अभियुक्त जानू पुत्र यामीन निवासी ग्राम कासिमपुर खेडी थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा वादी के नाबालिग लडके के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 10/2020 धारा 323/504/506/37 भादवि व 5M/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 28.05.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

प्रेस नोट

जनपद बागपत **दिनांक 28.05.2024**

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित कुख्यात अन्तर्राज्यीय आपराधिक माफिया सुनील राठी व उसके गैंग के सदस्य नीरज बवाना व सचिन उर्फ मोनू को ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत बागपत पुलिस और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने के परिणामस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित कुख्यात अन्तर्राज्यीय आपराधिक माफिया सुनील राठी पुत्र नरेश निवासी ग्राम टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत व उसके गैंग के सदस्य नीरज बवाना पुत्र प्रेम सिंह निवासी 848 बवाना आउटर दिल्ली व सचिन उर्फ मोनू पुत्र नरेश निवासी ग्राम हलालपुर थाना छपरौली जनपद बागपत के विरूद्व थाना कोतवाली बागपत पर वर्ष-2015 में मु0अ0सं0 617/15 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था, जिसमें ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत बागपत पुलिस और अभियोजन पक्ष द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 28.05.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा दोषी करार देते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में आरोपी सुनील राठी को 10 वर्ष के कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड, नीरज बवाना को 07 वर्ष के कारावास व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा सचिन उर्फ मोनू को 05 वर्ष के कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त सुनील राठी के विरूद्व जनपद बागपत, मेरठ तथा दिल्ली व हरिद्वार सहित कई प्रदेशों में संगीन धाराओं में 41 अभियोग जिसमें गैंगस्टर, हत्या, हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट आदि के अभियोग पंजीकृत हैं तथा नीरज बवाना पर हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एवं आर्म्स एक्ट आदि के संगीन धाराओं में 26 अभियोग व सचिन उर्फ मोनू पर हत्या, गैंगस्टर एवं आर्म्स एक्ट आदि के संगीन धाराओं में 16 अभियोग पंजीकृत हैं। शेष अभियोगों में भी मॉनिटरिंग सेल द्वारा

प्रभारी पैरवी कर मा0 न्यायालय से दण्डित कराया जाएगा। बागपत पुलिस शेष माफियाओं के विरूद्ध भी कार्यवाही हेतु कटिबद्ध है।

उक्त गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में सुनील राठी की 01 करोड 20 लाख रूपये की सम्पत्ति धारा 14 (1) के अन्तर्गत कुर्क की जा चुकी है।

1-चिन्हित माफिया सुनील राठी का आपराधिक इतिहास-

Ø0 l0	eq0v0l0	/kkjk	Fkkuk	Tkuin
1	401@2000	302 Hkknfo	vks[kyk	fnYyh
2	91@01	25 'kL= vf/k0	dU[ky	gfj}kj
3	153@2001	2@3xSx0vf/k0	dU[ky	gfj}kj
4	238@2001	302 Hkknfo	ykydqrhZ	esjB
5	60@01	392]411 Hkknfo	fl[kSMk	eq0uxj
6	230@01	389]411 Hkknfo	d'ehjh xsV	fnYyh
7	166@2001	302]419]420]467]411 Hkknfo o 41@102 n0iz0l0	nks?kV	ckxir
8	75@2001	392 Hkknfo	dkU/kyk	eq0uxj
9	125@2001	147]148]149]307 Hkknfo	pjFkkoy	eq0uxj
10	63@2002	2@3 xSx0vf/k0	ykydqrhZ	esjB
11	90@2003	147]353]532]504]506 Hkknfo	jkuhiqj	gfj}kj
12	180@2005	386]506Hkknfo	:Mdh	gfj}kj
13	133@06	386]120ch Hkknfo	:Mdh	gfj}kj
14	208@06	386]504]120ch Hkknfo	:Mdh	gfj}kj
15	169@06	302]120ch]34Hkknfo o 3¼2½5,l0lh0,l0Vh0,DV	vks[kyk	fnYyh
16	182@2006	302]34]114]120ch Hkknfo 3¼2½5,l0lh0,l0Vh0,DV	:Mdh	gfj}kj
17	240@2006	2@3 xSx0vf/k0	:Mdh	gfj}kj
18	321@2006	307]506 Hkknfo	:Mdh	gfj}kj
19	72@2006	307]120ch]504]506Hkknfo	xaxugj	gfj}kj
20	105@2006	386]120ch Hkknfo	xaxugj	gfj}kj
21	350@09	307]506]504Hkknfo	Tokykiqj	gfj}kj

22	479@2009	302Hkknfo	:Mdh	gfj}kj
23	292@2009	386]120ch Hkknfo	jkuhiqj	gfj}kj
24	195/10	2@3 xSx0vf/k0	:Mdh	gfj}kj
25	189@10	386Hkknfo	jkuhiqj	gfj}kj
26	310@11	307]309]504]506Hkknf o	jkuhiqj	gfj}kj
27	214@11	307]120ch Hkknfo o 3@4 fo0 vf/k0	xaxugj	gfj}kj
28	228@11	147]148]149]302]120c h Hkknfo o 25 'kL= vf/k0	xaxugj	gfj}kj
29	243@14	147]148]149]302]307] 120ch] 34Hkknfo	xaxugj	gfj}kj
30	289@14	2@3xSx0vf/k0	xaxugj	gfj}kj
31	1072@14	395]397]332]353]323] 224]223 Hkknfo	ckxir	Ckxir
32	617@15	2@3xSx0vf/k0	ckxir	Ckxir
33	18@17	386]506Hkknfo	xaxugj	gfj}kj
34	489@17	386]120ch Hkknfo	:Mdh	gfj}kj
35	510@17	386]506Hkknfo	xaxugj	gfj}kj
36	305@17	386]506]120ch Hkknfo	dU[ky	gfj}kj
37	887@17	406]386]504]120ch Hkknfo	dks0uxj	gfj}kj
38	378@18	25@27'kL= vf/k0	[ksdMk	Ckxir
39	377@18	302 Hkknfo	[ksdMk	Ckxir
40	212@20	147]148]149]307]302] 506]34]120ch Hkknfo	NijkSyh	Ckxir
41	223@20	302Hkknfo	NijkSyh	Ckxir

2- सचिन उर्फ मोनू का आपराधिक इतिहास-

dz0l0	Eqk0v0l0	/kkjk	Fkkuk	tuin
1	489@17	/kkjk 386-120ch Hkknfo	xaxugj	gfj}kj
2	1072@14	/kkjk 395]397]332]353]323]223]224 Hkknfo Fkkuk ckxir	ckxir	ckxir
3	617@15	/kkjk 2@3 xSx0vf/k0 Fkkuk ckxir	ckxir	ckxir
4	887@17	/kkjk 420]386]120ch Hkknfo	dks0uxj	gfj}kj

5	245@08	/kkjk 452-323-325-308-504-506 Hkknfo	NijkSyh	ckxir
6	228@11	/kkjk 148-149-302-120ch Hkknfo o 25 vkElZ ,DV	xaxugj	gfj}kj
7	243@14	/kkjk 147]148]149]302]120ch]307]34 Hkknfo Fkkuk dks0 xaxugj gfj}kj	xaxugj	gfj}kj
8	218@20	/kkjk 25@27 vkElZ ,DV	NijkSyh	ckxir
9	212@20	212@20 /kkjk 147]148]302 Hkknfo	NijkSyh	ckxir
10	114@22	/kkjk 2@3 xSx vfk/k0	NijkSyh	ckxir
11	289@14	/kkjk 2@3xSx0vf/k0 Fkkuk	xaxugj	gfj}kj
12	41@15	/kkjk 420-465-467-468-471-120ch Hkknfo	lhVh ,lch,luxj	iatkc
13	62@15	/kkjk 460-465-468-471-473-474- Hkknfo o 25@27 vkElZ ,DV	ifV;kyk	iatkc
14	216@16	/kkjk 386-201-120 ch Hkknfo	xaxugj	gfj}kj
15	258@20	506 Hkknfo	NijkSyh	ckxir
16	105@20	323-506-	cMkSr	ckxir

3-नीरज बवाना का आपराधिक इतिहास-

क्र0स0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	1072@14	/kkjk 223-224-323-332-353-395-397-412-34-120ch Hkknfo	ckxir	ckxir
2	623@07	307-34 Hkknfo	cokuk	vkÅVj tuin दिल्ली
3	105@07	399-402-Hkknfo	lnj nknjh	fHkokuk
4	604@08	302-307-34-Hkknfo o 25 vkElZ ,DV	lqYrkuiqjh	vkÅVj tuin दिल्ली
5	267@08	365-302-Hkknfo		jksgrd हरियाणा
6	69@10	186-353-332-34-Hkknfo	gfjuxj	osLV fnYyh

7	437@11	148-149-120ch-Hkknfo o 25@54@59	>Ttj	>Ttj हरियाणा
8	98@12	307-452-506-12ch-Hkknfo	iz'kkUr fcgkj	jksg.kh हरियाणा
9	180@12	387-506Hkknfo	le;iqj cknyh	vkÅVj ukFkZ tuin
10	234@12	25-54-27-59-vkElZ ,DV	iz'kkUr fcgkj	jksg.kh हरियाणा
11	77@12	385-506-507-Hkknfo	cokuk	vkÅVj tuin दिल्ली
12	78@12	25@54@59vkElZ ,DV	if'pe fcgkj osLV	vkÅVj tuin दिल्ली
13	99@12	385-506-507-Hkknfo	cokuk	vkÅVj tuin दिल्ली
14	53@12	385-506-507-Hkknfo	cokuk	vkÅVj tuin दिल्ली
15	179@12	385-506-507-34-Hkknfo	cokuk	vkÅVj tuin दिल्ली
16	194@12	148-149-307-302-120ch-Hkknfo o 25vkElZ ,DV	ikuhir lnj	iuhir हरियाणा
17	192@12	148-149-506-34-Hkknfo	ikuhir lnj	iuhir हरियाणा
18	40@13	186-353-120ch-34Hkknfo o 25@27 vkElZ ,DV	dzkbe czkzUp	dzkbe
19	764@14	302-307-120ch-34-Hkknfo o 25@54@27@59 vkElZ ,dV	lqHkk"k isysl	ukFkZ osLV दिल्ली
20	1683@15	302-120ch-34 Hkknfo	eaxykSjiqjh	vkÅVj fnYyh
21	10@15	3]4 edksdk	Lis'ky lSy	fnYyh
22	30@15	186-353-307-Hkknfo o 25@27 vkElZ ,DV	Lis'ky lSy	fnYyh
23	1980@15	387-506-Hkknfo	eaxykSjiqjh	vkÅVj fnYyh
24	35@15	384-34 Hkknfo	Lis'ky lSy	fnYyh
25	812@23	307-387-34-Hkknfo25@27vkelZ ,DV	fcUnkiqj	}kjdk हरियाणा
26	617@15	2@3 xSaxLVj ,DV	ckxir	ckxir

दोषसिद्ध अपराधियों का नाम व पता-

1-सुनील राठी पुत्र नरेश निवासी ग्राम टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत (एचएस नं0 689ए) ।

(10 वर्ष का कारावास व 1,00,000/- रुपये अर्थदण्ड)

2- नीरज बवाना पुत्र प्रेम सिंह निवासी 848 बवाना आउटर दिल्ली ।

(07 वर्ष का कारावास व 70,000/- रुपये अर्थदण्ड)

3-सचिन उर्फ मोनू पुत्र नरेश निवासी ग्राम हलालपुर थाना छपरौली जनपद बागपत(एचएस नं0 850ए) ।

(05 वर्ष का कारावास व 50,000/- रुपये अर्थदण्ड)

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट — दिनाँक- 28.05.2024

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 45 पाउच अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से 45 पाउच अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुमित पुत्र कृपाल निवासी पट्टी मैनमाना कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 45 पाउच अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 अखिलेश यादव थाना दोघट जनपद बागपत।

2-है0का0 188 सुबोध कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत **दिनांक-28.05.2024**

थाना बड़ौत पुलिस ने थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से लूटी हुयी सफेद धातु की चैन का पैन्डल बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.05.2024 को थाना बड़ौत पर श्रीमती सरिता पत्नी श्री तरसपाल निवासी ग्राम बाम थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि जब वह अपने पति के साथ बडौत किसी कार्य से आयी थी तभी दिल्ली अड्डे देशी मदिरा की दुकान के पास रास्ते में 03 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा वादिया के

गले की चांदी की चैन लूट ली गयी। इस सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 368/24 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शातिर /वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान थाना क्षेत्र में लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। जिनके कब्जे से लूटी हुयी सफेद धातु की चैन का पैन्डल बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोटः- मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-साकिब उर्फ तोता पुत्र शफीक निवासी खत्ते वाली गली कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

2-प्रिंस पुत्र संजीव निवासी पट्टी मेहर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

3-आलम पुत्र शौकीन निवासी मौ0 सोरग्रान कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- लूटी हुयी सफेद धातु की चैन का पैन्डल।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री संजय सिंह पूनिया थाना बडौत जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

3-उ0नि0 यूटी श्री मयंक प्रताप सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।

4-उ0नि0 यूटी श्री पुष्पराज विश्नोई थाना बडौत जनपद बागपत।

5-है0का0 351 पवन नागर थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक- 28.05.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 478/24 धारा 147/504/307 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 27.05.2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्रवण कुमार पुत्र श्री भगवान निवासी ग्राम खेडकी थाना बागपत जनपद बागपत ने एक प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्तगण 1- आकाश नैन उर्फ गट्टू पुत्र सतेन्द्र, 2- अर्जुन नैन पुत्र सतेन्द्र, 3- आशीश पहलवान निवासीगण ग्राम सरुरपुर कलां थाना बागपत जनपद बागपत, 4- सुनील पाशा निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत, 5- आकाश निवासी ग्राम बाघू थाना बागपत जनपद बागपत व 8-10 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर तमंचे व पिस्टल से लैस होकर आवेदक के पुत्र निशान्त व उसके साथी आकाश पुत्र हरिओम निवासी कस्बा टटीरी थाना बागपत जनपद बागपत व गौरव निवासी लधवाडी थाना बागपत जनपद बागपत के साथ गाली- गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से फायर किया जिससे आवेदक का पुत्र गंभीर रुप से घायल हो गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली

बागपत पर मु0अ0सं0 478/24 धारा 147/504/307 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 478/24 धारा 147/504/307 भादवि में नामित अभि0 सादिक पुत्र हारूण नि0 मौ0 नई बस्ती मुगलपुरा कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
4-का0 44 संजीव थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
5-का0 556 इल्यास थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट दिनाँक-28.05.2024

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से बने/अधबने 63 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से जिसके कब्जे से बने/अधबने 63 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

खालिद पुत्र रोजुद्दीन निवासी मौहल्ला तीरगरान पट्टी तिरोसिया कस्बा दोघट थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 63 किलोग्राम बने/अधबने पटाखे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 हरवीर सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।

2-उ0नि0यूटी सचिन कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।